न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
67 / 2013	2013 / 00688	01.03.2013	17.10.2022

उनवान प्रकरण

1. भागीरथदास पुत्र नारायणदास मृत्तक क बजाय–:
   1/1 आंची देवी पत्नी स्व. भागीरथदास आयु 82 वर्ष
   1/2 छीगनलाल पुत्र स्व. भागीरथदास आयु 62 वर्ष
   1/3 विजय कुमार पुत्र स्व. भागीरथदास आयु 47 वर्ष
   1/4 झाबरमल पुत्र स्व. भागीरथदास आयु 40 वर्ष समस्त जाति स्वामी निवासीगण वार्ड 4 जालपाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

——वादीगण

बनाम

1. केवलराम पुत्र मोतीराम
2. मदनलाल पुत्र मोतीराम
3. राधेश्यशयाम पुत्र मोतीराम
4. सायरमल पुत्र मोतीराम
5. बोदूराम पुत्र मोतीराम
6. रामावतार पुत्र मोतीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:26:52 IST
Reason: SelfAttested

17/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

7. अनिता पुत्री मोतीराम

समस्त जाति स्वामी निवासीगण वार्ड नम्बर 4 जालपाली श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

8. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री दीपक बाजिया, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री गिरीराज शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7,
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990 रकबा 0.22 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के अकेलो के नाम दर्ज हैं। जो गलत दर्ज है तथा उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 918 तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर थे। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 आपस में एक ही परिवार से है। प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से है तथा सजरा के अनुसार वादी भागीरथदास व प्रतिवा[illegible] आपस में सगे भाई है तथा उक्त वर्णित वादपत्र पर पूर्व [illegible] नारायणदास पुत्र [illegible]मुकन्ददास जी काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:26:52 IST
Reason: SelfAttested

17/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

चले आ रहे थे तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी व उसका भाई मोतीदास बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त चला आ रहा था परन्तु खसरा गिरदावरियो में मोतीदास बड़ा होने के कारण अकेले का नाम दर्ज हो गया तथा उसके आधार पर प्रतिवादीगण 1 ता 7 ने अपने नाम अकेलो के खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 7 का 1/2 हिस्सा पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनका 1/2 हिस्सा ही है तथा 1/2 हिस्सा वादी का है। इसलिए वादी उक्त 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नही हैं। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को खातेदारी वादी के नाम उसके हक हिस्सा की दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब उनके मन में जमीन की बढ़ती हुयी कीमतों को देखकर बदनियति आ गयी है। इसलिए अर्सा 10 रोज पूर्व इंकार हो गये तथा वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पेदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र पेश कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990 रकबा 0.22 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दक्षिणी दिशा में गोपालदास की भूमि के लगते हुए भूमि का वादी को घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी उक्त 1/2 हिस्सा की वादी के नाम रिकार्ड मे दर्ज किये जाने तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 7 के बदस्तूर [illegible] बाबत दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत [illegible] जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:26:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

17/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 7 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर दिनांक 13.05.2014 को जवाब दावा पेश किया। वादी के फौत होने पर वादी के वारिसान् की ओर से एक प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश करने पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम वादी स्वीकार किया जाकर वादी के विधिक वारिसान् वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 को रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से वादीगण के पक्ष में दिनांक 04.08.2022 को राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 8 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में जरिये राजीनामा वादपत्र में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1990 रकबा 0.22 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम ब[illegible] 7 – 1/7 बराबर बराबर दर्ज रिकार्ड है। मृत्तक वादी भागीरथ[illegible] के मृत्तक पिता मोतीदास का सगा भाई होकर नारायणदास पुत्र बाल मु[illegible]दास की सन्तान होना प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:26:52 IST
Reason: SelfAttested

17/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सजरा खानदान से स्पष्ट प्रमाणित होता है। जिसके आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमियों पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने मृत्तक वादी के वारिसान् वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा मृत्तक वादी के वारिसान् 1/1 लगायत 1/4 के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण पक्षकार के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990 रकबा 0.22 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण को 1/2 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों के हिस्सा 1/2 की खातेदारी से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के बदस्तूर रखा जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990 रकबा 0.22 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी मृत्तक भागीरथ के वारिसान वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/4 को 1/2 हिस्सा का बहिस्सा बराबर—बराबर दक्षिणी दिशा में गोपालदास की भूमि के लगते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:26:52 IST
Reason: SelfAttested

17/10/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हुए भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 का नाम 1/2 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम बदस्तूर रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/10/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:26:52 IST
Reason: SelfAttested

17/10/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)